अधिकारों का वर्णन

Statement of rights

आपके अधिकार

अपने अधिकारों के बारे में जानकारी पाने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में आने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है इस बारे जानने के लिए नीचे लिखे गए प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ लें।

मेरे मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहुँचने के बाद क्या होता है?

आपके मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहुँचने के 12 घंटे के भीतर स्वाथ्य केंद्र के एक चिकित्सक द्वारा आपकी जांच की जानी चाहिए।

यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मानसिक स्वास्थ्य सेवा में पहले से ही स्वैच्छिक रूप से एक रोगी हैं, और आपको बताया गया है कि अब अपनी इच्छा के विरूद्ध आपको स्वास्थ्य सेवा में रखा जाएगा, तो यह निर्णय कि आपको सेवा केंद्र में रहना होगा, लेने के 12 घंटे के भीतर सेवा केंद्र के चिकित्सक द्वारा आपका परीक्षण किया जाएगा।

मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वाथ्य सेवा केंद्र में कब रखा जा सकता है?

आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखा जा सकता है यदि केंद्र का चिकित्सक प्रमाणित करता है कि आप मानसिक रोगी (mentally ill person) हैं या आपको कोई मानसिक विकार (mentally disordered person) है। चिकित्सक ही यह निर्णय लेगा कि आप मानसिक रोगी हैं या आप किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसे कोई मानसिक रोग होता है और उसे उसकी सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखने की ज़रुरत होती है। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति वह होता है जिसके व्यवहार से प्रकट होता है कि उसे उसकी सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में थोड़ी अवधि के लिए रखने की ज़रुरत है।

सेवा केंद्र आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको लगातार नहीं रख सकता जब तक कि कम से कम एक अन्य चिकित्सक की जांच से पता न लगे कि आप मानसिक रोगी या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति हैं। जो चिकित्सक आपकी जांच कर रहे हैं उनमें से एक मनश्चिकित्सक होना चाहिए।

मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वाथ्य सेवा केंद्र में कब तक रखा जा सकता है?

यदि यह पता लगता है कि आप मानसिक विकार से पीड़ित हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में केवल 3 दिनों तक के लिए रखा जा सकता है (सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश इसमें शामिल नहीं हैं)। इस दौरान 24 घंटे में कम से कम एक बार आपकी जांच चिकित्सक द्वारा की जानी चाहिए। मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति के रूप में आपको केंद्र में एक महीने में तीन बार से अधिक नहीं रखा जा सकता।

यदि पता लगता है कि आप मानसिक रोगी हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में तब तक रखा जाएगा जब तक आप मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल (Mental Health Review Tribunal) में नहीं जाते, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य का सर्वेक्षण करेगा और यह निर्णय लेगा कि आपके साथ क्या किया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र से मैं कैसे बाहर निकल सकता/सकती हूँ?

आप, या आपका मित्र या रिश्तेदार, किसी भी समय मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट (medical superintendent) या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर से आपको बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं। यदि आप मानसिक रोगी या मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं या मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट अथवा अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर सोचता है कि आपके लिए कोई अन्य उपयुक्त देखभाल सेवा समुचित रूप से उपलब्ध है, तो आपको बाहर निकालने की अनुमति दी जा सकती है।

क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा उपचार किया जा सकता है?

सेवा केंद्र के कर्मचारी आप न चाहें तो भी, आपकी मानसिक दशा के लिए या आपात्काल में आपके जीवन की रक्षा करने के लिए अथवा आपके स्वास्थ्य को होने वाली हानि को रोकने के लिए आपको उपयुक्त चिकित्सकीय उपचार दे सकते हैं। यदि आप पूछना चाहें तो कि आपका उपचार कैसे किया जा रहा है तो सेवा केंद्र के कर्मचारियों को आपको बताना होगा। आपको ज़रुरत से ज्यादा और अनुपयुक्त दवाइयां नहीं दी जानी चाहियें।

क्या मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध इलेक्ट्रो कन्वल्सिव उपचार (ECT) दिया जा सकता है?

जी हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल अपनी सुनवाई में निर्णय लेता है कि आपकी सुरक्षा और कल्याण के लिए यह आवश्यक या वांछित है। आपको इस सुनवाई में उपस्थित होने का अधिकार है।

मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कब होता है?

जैसे ही आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में आपकी इच्छा के विरुद्ध रखने का निर्णय लिया जाता है क्योंकि आप मानसिक रोगी हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में क्या होता है?

मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेगा कि आप मानसिक रोगी हैं या नहीं।

यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी नहीं हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा से बाहर निकल दिया जाएगा।

यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी हैं तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल निश्चित करेगा कि आपके साथ क्या किया जाए। इस विषय पर विचार किया जाएगा कि आपको कम से कम प्रतिबंधित वातावरण में रखा जाए और प्रभावशाली तरीके से उपचार किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपकी इच्छा के बिना रोगी (INVOLUNTARY PATIENT) के रूप में आपको मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रखने की आज्ञा दे सकता है (3 महीने से अधिक नहीं) या मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपको मानसिक स्वास्थ्य केंद्र से मुक्त करने की आज्ञा भी दे सकता है। यदि आपको बाहर निकलने की

अनुमति मिल जाती है, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आपके लिए किसी तरह के सामुदायिक उपचार का आदेश दे सकता है जिसके तहत बाहर निकलने के बाद आपको एक विशेष प्रकार का उपचार लेना पड़ सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल 14 दिन तक सर्वेक्षण स्थगित कर सकता है, अगर उसे लगता है कि इसमें आपकी भलाई है।

यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल आदेश देता है कि आपको बिना आपकी इच्छा के रोगी के रूप में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में रहना होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप अपने वित्तीय मामलों की व्यवस्था कर सकेंगे या नहीं। यदि मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आप इस योग्य हैं, तो आपके वित्तीय मामलों की व्यवस्था के लिए न्यू साउथ वेल्स ट्रस्टी और अभिभावक क़ानून 2009 *(NSW Trustee and Guardian Act 2009)* के अंतर्गत एक आदेश दिया जाएगा।

मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ के लिए मुझे क्या अधिकार प्राप्त हैं?

आप मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल को बता सकते है कि आप क्या चाहते हैं या जो आप चाहते हैं, अपने वकील से मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा ट्रिब्यूनल को बताने के लिए कहें। आप आम आदमी की तरह कपड़े पहन सकते हैं, एक दुभाषिये की मदद ले सकते हैं और अपने मुख्य देखभाल कर्ता, रिश्तेदार व दोस्तों को इस पूछताछ में साथ रख सकते हैं। आप अपना मेडिकल रिकॉर्ड देखने के लिये आवेदन भी कर सकते हैं।

यदि मुझे बिना मेरी इच्छा के रोगी बना दिया गया है तो मेरे अपील करने के क्या अधिकार हैं?

आप (आपका देखभाल कर्ता या मित्र अथवा रिश्तेदार) किसी भी समय मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर से आपकी छुट्टी करने की मांग कर सकता है। यदि मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या अन्य अधिकृत मेडिकल ऑफिसर मना करता/करती है या 3 दिन तक उत्तर नहीं देता है तो आप (या आपका देखभाल कर्ता अथवा मित्र या रिश्तेदार मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर सकते हैं।

आपको अपने अधिकारों के सन्दर्भ में बताने के लिए एक नोटिस दिया जाएगा।

क्या होता है जब बिना मेरी इच्छा के मुझे रोगी घोषित करने के आदेश की सीमा का समय लगभग समाप्त होने वाला होता है?

सेवा केंद्र का मेडिकल विभाग आदेश का समय समाप्त होने के पहले आपकी स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और मानसिक स्वास्थ्य सेवा या तो आपको छुट्टी दे देगी या मानसिक स्वास्थ्य पुनरीक्षण ट्रिब्यूनल में अगले आदेश के लिए आवेदन करेगी।

यदि ट्रिब्यूनल निर्णय लेता है कि आप मानसिक रोगी नहीं हैं या उसे लगता है कि कोई अन्य देखभाल अधिक उपयुक्त है और आसानी से उपलब्ध है तो वह आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा से निकलने के अनुमति दे सकता है।

मैं किससे सहायता मांग सकता/सकती हूँ?

आप सेवा केंद्र के विभाग के कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, अधिकृत आगंतुक, पादरी या पुजारी, अपने वकील से अथवा मानसिक स्वास्थ्य वकालत सेवा (Mental Health Advocacy Service) से सहायता मांग सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य वकालत सेवा का टेलीफोन नंबर है: 9745 4277

क्या मैं अपने किसी मित्र या रिश्तेदार से मेरे बदले कार्यवाही करने के लिए कह सकता/सकती हूँ?

जब आप मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में हैं तो आप एक व्यक्ति को अपने मुख्य देखभाल कर्ता के रूप में नामांकित कर सकते/सकती हैं। आपका मुख्य देखभाल कर्ता आपके लिए सूचना मांग सकता है और यदि आपको मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में रखा जाता है तो उसे सूचित किया जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य से सम्बंधित पूछताछ के तहत वह आपके स्थानान्तरण और छुट्टी तथा प्रस्तावित विशेष मानसिक स्वास्थ्य उपचार या शल्य चिकित्सा संबंधी ऑपरेशन के बारे में जानकारी ले सकता है। आप और आपके मुख्य देखभाल कर्ता को आपकी छुट्टी के बाद की देखभाल संबंधी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है।